International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 9, September- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

महिला सशक्तिकरण के चरण

शोधार्थी – सुमन मीना
राजनीती विज्ञान विभाग,
जयनारायण व्यास विश्वविध्यालय जोधपुर

महिलाओं को सषक्त बनाना आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें सषक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है ताकि वे जान सके कि कानून के द्वारा वे कौन–कौन से अधिकाार प्राप्त कर सकती है? अत्याचार, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला कैसे कर सकती है?

संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकारी तथा दर्जा दिया गया है, समय समय पर और भी कानून बनाए गए है जिससे कानूनी दृष्टि से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है।

महिलाओं के प्रति पुलिस का व्यवहार

बात किसी से छिपी हुई नही है कि पुलिस के कार्य करने का तरीका कैसा है इसकी जानकारी हुई किसी भी अखबार और मीडीया से मिल जाएगी और बात जब महिलाओ के बारे में होतो कहना ही क्या आए दिन अपना मुह छुपाती हुई नजर आती है।

इन सबके लिए महिला पुलिस के साथ–साथ महिला उपराध प्रकोष्ठ बनाये गये है जिके द्वारा महिलओं पर हो रहे अपराधों के त्वरित कार्यवाही कही जा रही है तथा अन्य कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे है –

1. महिला पुलिस थानों की स्थापना।
2. महिला अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना।

3. महिला न्यायलायों की स्थापना।

4. महिला अभियोजकों की नियुक्ति

5. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना।

6. महिला बटालियन का निर्माण।

7. महिला अपराधों से निपटने हेतु पुलिस प्रषासन में सुधार के सुझाव

1. पुलिसकर्मियों को महिला संबंधी कानूनों व अन्तर्राष्ट्रीय निर्देषों की पूरी जानकारी नहीं है उन्हें कानून संबंधी ट्रेनिग दिए जाने की जरूरत है।

2. पुलिसकर्मियों में जो पुरूष प्रधान वाली पवृति है उसे बदलने की जरूरत है उसके लिए व्यापक कार्यवाही होनी चाहिए।

3. महिला थानों की संख्या बहुत कम है उनमें भी हवालात नही है तो महिला अभियुक्तों को उन्य हवालातों में रखना पडता है। जिससे वही अपराध को बढ़ावा मिलता है।

4. महिला पुलिस को विषेष दस्ते बनाने जरूरी है जो कि विषेश्ज्ञ रूप से प्रषिक्षण लिए हुए हो और किसी भी आपात स्थिति का सामना कर सके।

5. महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा हेतु कडे से कडे कानून बनने चाहिए तथा उनकी कठाई से पालना करवानी चाहिए।

महिला सषक्तिकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई विषेष योजनाए –

क्र.सं	योजना का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष	योजना का मुख्य उद्वेष्य
1.	डवाकरा योजना	1982	ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, षिक्षा, पोषाहार, स्वच्छता तथा षिषुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाए प्रदान करना।
2.	न्यू मॉडल चर्खा योजना	1987	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेत आर्थिक सहायता प्रषिक्षण तथा अनुदान प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना।
3.	नौराड प्रषिक्षण योजना	1989	महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों जैसे दरी, चिकन, प्रिटिंग आदि से सम्बन्धित प्रषिक्षण देकर आर्थिक गतिविधियों से सलग्न करना।
4.	महिला समाख्या योजना	1989	स्जगता के लिए षिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
5.	मातृ एवं षिषु स्वाय कार्यक्रम	1992	माता व षिष को पोषाहार उपलब्ध कराना सुरक्षित मातृत्व तथा टीकाकरण आदि षिषु व मातृ मृत्यु में कमी लाना।
6.	किषोरी बालिका योजना	1992	गरीब बालिकाओं को समुचित स्वास्थ्य पोषण और षिक्षा।
7.	महिला समृद्धि योजना	1993	ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डाल सषक्त बनाना।

8.	राष्ट्रीय महिला कोष	1993	ग्रीबी रेखा से नीचे के परिवारों की में आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन हेतु उपलब्ध करा उनकी आया बढाना।
9.	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	1994	गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं को पसूति हेतु आर्थिक सहायता।
10.	इन्दिरा महिला योजना 1995	1995	गंदी बस्तियों की महिलाअें को आर्थिक स्वाबंलबन
11.	मर्जिन मनी ऋण योजना	1995	महिलाओं को स्वरोजगार हेतु बैंको से ऋण तथा मार्जिन मनी उपलब्ध कराना।
12.	ग्रामीण महिला विकास परियोजना	1996	ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी वृद्धि जागरूक बनाना तथा भेदभाव समाप्त करना।
13.	राज राजेष्वरी बीमा योजना	1997	गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं महिलाओं को बिना किसी प्रीमीयम राषि पर विकलांगता की स्थिति में जीवन निर्वाह हेतु एकमुष्त आर्थिक सहायता प्रदान करना।
14.	स्वास्थ्य सखी	1997	अनुसूचित जाति/ जनजाति की महिलाओं को प्रजनन व बाल स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रषिक्षण प्रदान करना व आर्थिक लाभ प्रदान करना।
15.	बलिका समृद्धि योजना	1997	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की बालिकाओं की माता को पोष्टिक आहार तथा 10 वी तक बालिका की पढ़ाई हेतु नकद शैक्षिणा अनुदान सहायता प्रदान करना।

12 नवम्बर 1995 को राष्ट्रीय नीति का प्रारम्भिक प्रारूप जारी दिया इसमें –

1. महिलाओं की राजनैतिक निर्णय की प्रकिया में साझेदारी।
2. महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव समाप्त किया जाये।
3. महिलाओ के उत्थान हेतु समुचित मषीनरी का विकास।
4. महिलाओं के लिए षिक्षा, स्वास्थय, सम्पति सूचना में बराबरी का अधिकार लिए आधारित जनगणना का विष्लेषण कर समाज में स्थापित कमियों को दूर किया जाये।